www.cbi.gov.in
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग,
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली 110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक, 28.06.2017

सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया को कथित हानि पहुँचाने पर निजी न्यास के तत्कालीन चेयरमैन एवं प्रबन्ध न्यासी तथा अन्यों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया

सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया को कथित हानि पहुँचाने पर चेन्नई स्थित निजी चिकित्सा एवं शैक्षिक न्यास के तत्कालीन चेयरमैन व प्रबन्ध न्यासी ; एक प्राइवेट व्यक्ति तथा उक्त चेन्नई स्थित निजी चिकित्सा एवं शैक्षिक न्यास के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 468 व 471 के तहत आरोप पत्र दायर किया।

सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा भेजी गई शिकायत के आधार पर निजी चिकित्सा एवं शैक्षिक न्यास, चेन्नई के चेयरमैन एवं प्रबन्ध न्यासी एवं अन्यों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 468 व 471 के तहत दिनांक 28.07.2016 को मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि उक्त न्यास ने जिला थिरूवल्लूर (तमिलनाडु) में एक चिकित्सा कॉलेज स्थापित करने के लिए सावधि ऋण व बैंक गारन्टी ली और उक्त का पुर्नभुगतान नही किया, इस प्रकार, बैंक को 115.21 करोड़ रू. (लगभग) की हानि हुई। ऐसा भी आरोप था कि उक्त न्यास ने चेयरमैंन व प्रबन्ध न्यासी की आयकर विवरणिका, झूठी एवं बनावटी जमा की तथा उक्त न्यास के न्यासी ने भू-सम्पति पर कुछ चिकित्सा कालेज का निर्माण किया जो कि बैंक के पास गिरवी नही थी और मंजूर मद के अतिरिक्त किसी अन्य मद में धन राशि को लगाया।

गहन जॉच के पश्चात, चेन्नई स्थित नामित अदालत में आरोप पत्र दायर हुआ।

जनमानस को याद रहे कि उपरोक्त विवरण सीबीआई द्वारा की गयी जॉच व इसके द्वारा एकत्र किये गये तथ्यों पर आधरित है। भारतीय कानून के तहत आरोपी को तब तक निर्दोष माना जायेगा जब तक कि उचित विचारण के पश्चात दोष सिद्ध नही हो जाता।

****